



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 फरवरी, 2021

माघ 21, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

गोपन अनुभाग-5

संख्या 132/1/3/74-सी०एक्स०-5

लखनऊ, 10 फरवरी, 2021

शुद्धि-पत्र

प0आ0-47

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1974) की धारा 8 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके गोपन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 132/1/3/74-सी०एक्स०-5, दिनांक 22 जनवरी, 2021 के द्वारा मा0 परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है।

2-उक्त अधिसूचना के पृष्ठांकन में क्रमांक 03 पर "मा0 न्यायमूर्ति श्री ए0 आर0 मसूदी, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ" के स्थान पर "मा0 न्यायमूर्ति श्री राकेश श्रीवास्तव, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ" पढ़ा जाय। साथ ही क्रमांक 6 पर अंकित "मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज मिथल, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ" को विलोपित समझा जाये।

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 132/1/3/74-सी०एक्स०-5(2), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- (2) निबन्धक, परामर्शदात्री परिषद (निरुद्धियों), उ० प्र०, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- (3) मा० न्यायमूर्ति श्री राकेश श्रीवास्तव, न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- (4) मा० न्यायमूर्ति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- (5) मा० न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव-द्वितीय, न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- (6) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- (7) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (8) शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- (9) शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- (10) वरिष्ठ निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- (11) कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (12) गोपन अनुभाग-6/7, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (13) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
सुनीत कुमार द्विवेदी,  
अनु सचिव ।